

सहायक कमिश्नर  
(SDO) सिवाना

31/08/18

वादी अवैध उपस्थित। प्रतिवादीगण से अपील से कोई उपस्थित नहीं।

वादीने उक्त प्रकरण में गुणेशजी की सुविधा के पक्षधर नहीं बनाया जबकि मजमू आग व तल्लीलदार समददी की रिपोर्ट के अध्ययन में यह स्पष्ट सामने आया कि गुणेशजी के उक्त सुविधा है जो जीवित है तथा उक्त सम्पत्ति गुणेशजी की अस्तित्व है गुणेशजी की सुविधा यानी वादी की वल्ले इस प्रकरण में आवश्यक पक्षधर है तथा विविध वारिसान है विविध वारिसान को पक्षधर नहीं बनाकर सिना सुने आदेश पारित किया जाना न्यायिक प्रतीत नहीं होता है आवश्यक विविध वारिसान को सिना सुने उक्त निर्णय विधि अनुकूल नहीं होगा अतः वादी का वाद खारिज किया जाकर है निर्णय सुने न्यायालय में सुनाना

सहायक कमिश्नर  
(SDO) सिवाना